राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 1399/2024

डॉ. धर्म सिंह बैरवा —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. उप सचिव, आयुर्वेद विभाग, जयपुर।
3. शिवकान्त शर्मा, प्रबंधक, राजकीय आयुर्वेद रसायनशाला, उदयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 14.03.2024
आदेश की दिनांक :

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने कथन किया है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्साधिकारी ग्रेड—I के पद पर व्यवस्थापक, राजकीय आयुर्वेद रसायनशाला, उदयपुर में दिनांक 13.01.2023 से कार्यरत है। अपीलार्थी रस शास्त्र में स्नातकोत्तर की योग्यता रखता है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक—1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय आयुर्वेद औषद्यालय, भीम, जिला राजसमंद में बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को समंजित करने के उद्देश्य से किया गया है, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का आगे कथन है कि आयुर्वेद विभाग के परिपत्र दिनांक 05.03.1990 एवं दिनांक 09.12.2021 (अनुलग्नक—3 व 4) के द्वारा रसायनशाला में पदस्थापन के लिए द्रव्य गुण/रस शास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री होना आवश्यक है। जबकी निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 के पास रसशास्त्र/द्रव्य गुण में पोस्ट ग्रेजुएशन की योग्यता नहीं होते हुए भी अपीलार्थी के स्थान पर स्थानान्तरित किया गया है, जो विधि—विरूद्ध एवं अनुचित है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्साधिकारी ग्रेड—I के पद पर व्यवस्थापक, राजकीय आयुर्वेद रसायनशाला, उदयपुर में कार्य करने दिये जाने के आदेश फरमाये जावें।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील को ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्साधिकारी ग्रेड–ा के पद पर व्यवस्थापक, राजकीय आयुर्वेद रसायनशाला, उदयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय आयुर्वेद औषद्यालय, भीम, जिला राजसमंद में प्रशासनिक कारणों से राज्यहित में किया गया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। **डॉ0 अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान सरकार व अन्य 2003(1) डब्लू.एल.सी. (राज.) 438** का निर्णय उदृत किया गया है। हमने इस तर्क पर विचार किया है और हमारे मत में केवल इस कारण कि निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 को अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है, यह आवश्यक निष्कर्ष नहीं निकलता है कि बिना किसी उचित कारण के निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 को अनुचित फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से उसको अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है। हमारे मत में डॉ0 अजय कुमार शर्मा के केस के तथ्य भिन्न हैं और इस निर्णय से अपीलार्थी को कोई मदद नहीं मिलती है। सेवाविधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। नियोक्ता का यह विशेषाधिकार है कि वह अपने कार्मिक की श्रेष्ठ सेवायें किस स्थान पर उसे पदस्थापित कर वहां की जनता को प्रदान करना चाहता है। किसी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई विधिक अधिकार नहीं होता है। इस प्रकार स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं होने से अपील खारिज किये जाने योग्य है।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य